मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम (GMVN) लि0 देहरादून द्वारा जाखन नदी लॉट नं–13/1 में लघु लवणों के संग्रहण के लिये पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 02.09.2014 (प्रातः 11.00 बजे) स्थान महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ती प्रशिक्षण केन्द्र, रानीपोखरी, जाखन नदी पुल के पास, जनपद देहरादून का कार्यवृत्त।

मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून द्वारा जाखन नदी लॉट नं–13/1 में लघु लवणों के संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिये जन सुनवाई का आयोजन किया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून में प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, अधिसूचना–2006 के अतर्गत आच्छादित है। उक्त परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आख्या, पर्यावरणीय प्रभाव अधिसूचना–1994 यथासंशोधित के अनुसार तैयार की गयी है तथा लोक सुनवाई पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2009 के अनुसार की गयी है।

दिनांक 30.06.2014 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), देहरादून श्री प्रताप सिंह शाह, की अध्यक्षता में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ती प्रशिक्षण केन्द्र, रानीपोखरी, जाखन नदी पुल के पास, जनपद देहरादून में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। राज्य बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में श्री सुभाष पंवार (अ0 अभियन्ता) व श्री सुनील डबराल (अनु0 सहा0) उपस्थित थे।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से 11 बजे प्रातः लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

सर्वप्रथम ‘उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि श्री सुभाष पंवार (अ0 अभियन्ता) द्वारा लोक सुनवाई के आयोजन के उद्देश्य के बारे में उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया और कहा गया कि उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून द्वारा जाखन नदी में लघु लवणों के संग्रहण/एकत्रण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। भारत सरकार की अधिसूचना सितम्बर–2006 यथा संशोधित के अनुसार परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई का प्राविधान है। इस हेतु लोक सुनवाई की तिथि से नियमानुसार 30 दिन पूर्व दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण व टाईम्स ऑफ इण्डिया के दिनांक 26.06.2014 व संशोधित तिथि 02.09.2014 के अंक में इसं आशय की सूचना प्रकाशित की गयी थी। विज्ञप्ति के माध्यम से जन साधारण द्वारा इस परियोजना के कियान्वयन से पूर्व सुझाव आपत्ति, टीप टिप्पणी आपेक्ष मांगे गये थे। यदि स्थानीय लोगों की परियोजना के बारे में कोई आपत्ति या सुझाव हैं तो उनको इस लोक सुनवाई के माध्यम से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा, उनके द्वारा जन समुदाय से अनुरोध किया गया कि विचार, सुझाव परियोजना के पक्ष में अथवा विपक्ष में इस मंच के माध्यम से आमंत्रित हैं, जिनकी अनवरत वीडियो रिकार्डिंग एवं फोटोग्राफी

भी की जायेगी। मंच के माध्यम से आप सभी के महत्वपूर्ण विचार इस परियोजना के कियान्वयन हेतु एक निर्णायक भूमिका की अभिव्यक्ति होगी।

तदोपरान्त लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह शाह, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जन समुदाय से कहा गया कि परियोजना के सम्बन्ध में जो भी आपत्ति एवं सुझाव हैं उन्हें मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त करें, जिनको मिनिट्स में सम्मिलित कर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रेषित किया जायेगा।

इस अनुक्रम में मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम के परामर्शी संस्था के प्रतिनिधि श्री विवेक कुमार. द्वारा परियोजना से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी दी गयी एवं अवगत कराया गया कि परियोजना का कुल क्षेत्रफल 18.0 है0 है। जो कि ग्राम रानी पोखरी, तहसील ऋषिकेश, जिला देहरादून में स्थित है। उक्त परियोजना पूर्णतः सरकारी भूमि पर प्रस्तावित है। जिसे राज्य सरकार द्वारा गढ़वाल मण्डल विकास निगम को लीज पर दिया गया है। परियोजना हेतु किसी प्रकार की निजी भूमि का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य वोल्डर, बालू व बजरी का चुगान/खनन किया जाना है जिनका उपयोग विभिन्न निर्माण कार्यो में किया जायेगा। नदी में लघु लवणों के इकट्ठे होने की वजह से नदी अपना मार्ग बदल देती है, एवं चुगान न होने से बरसात में भूमि कटाव होता है, जिससे कि कृषि योग्य भूमि के साथ–साथ सड़कों/मार्गों को नुकसान पहुँचता है। खनन कार्य को वैज्ञानिक तरीके से किये जाने पर भूमि कटाव की रोकथाम के साथ–साथ स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध होंगे एवं खनिज के दामों में भी कमी आयेगी। परियोजना से लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं राज्य सरकार को भी राजस्व प्राप्त होगा। उन्होनें यह भी कहा कि इस परियोजना से रोजगार को बढ़ावा दिया जायेगा। इस परियोजना में नदी के तटों से 15 प्रतिशत भाग को छोड़कर लघु लवणों का संग्रहण किया जायेगा, उनके द्वारा अपनी प्रस्तुतीकरण में यह भी बताया गया कि 1.5 मीटर गहराई तक रेत, बजरी, बालू का संग्रहण किया जायेगा और संग्रहण कार्य सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच किया जायेगा तथा संग्रहण कार्य पूर्णतया मैनुअल किया जायेगा जिसमें कोई हैवी मशीनरी का उपयोग नहीं किया जायेगा। यह परियोजना पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीके से की जायेगी। श्री विवेक कुमार द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण में यह भी अवगत कराया गया कि खनन कार्य से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना (ईएमपी) बनायी गयी है, जिसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सड़कों पर जल छिड़काव एवं समय–समय पर वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण कर तदानुसार पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना बनायी जायेगी। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुश्रवण हेतु पर्यावरणीय सुरक्षा दल का गठन किया जायेगा। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना हेतु अलग से रू0 3.51 लाख के वार्षिक बजट का प्राविधान किया गया है, जिसका उपयोग जल छिड़काव, सड़कों की मरम्मत एवं वृक्षारोपण आदि कार्यों में किया जायेगा।

प्रस्तुतीकरण के बाद परियोजना के सम्बन्ध में जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत सुझावों एवं आपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है–

1. **श्री अनिल पाल, निवासी माजरीग्रांट** द्वारा खनन कार्य से सहमति व्यक्त की गयी। उनके द्वारा कहा गया कि नदी में खनन होने से सभी को फायदा होगा।

2. **श्री सागर मनवाल (प्रधान), निवासी जोलीग्रांट** द्वारा खनन कार्य से सहमति व्यक्त की गयी और कहा गया कि गढ़वाल मण्डल विकास निगम नदियों में खनन को ठेके पर न देकर स्वयं करें। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि खनन से प्राप्त राजस्व का 10 प्रतिशत भाग ग्रामसभा को मिले व खनन सामग्री में ग्रामवासियों को छूट प्रदान की जाए।

3. **श्री सतीश सेमवाल (बी.डी.सी. सदस्य) निवासी बड़कोट** द्वारा खनन कार्य से सहमति व्यक्त की गयी और कहा गया कि नदियों में खनन कार्य अनिवार्य है।

4. **श्री सुबोध जायसवाल (ग्राम प्रधान) निवासी रानीपोखरी** द्वारा कहा गया कि नदियां खनन हेतु खुलनी चाहिए एवं खनन सम्बन्धी समस्त मानकों का पालन करते हुए खनन कार्य किया जाना चाहिए। पूर्व में गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा मानकों का अनुपालन नहीं किया गया है, जिससे अवैध खनन को बढ़ावा मिला तथा बरसात में बाढ़ से खेती की जमीन का अत्याधिक कटाव हुआ। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि नदी के दोनों किनारों पर पक्के पुस्ते व वृक्षारोपण किया जाए एवं खनन कार्य पूर्णतः वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि नदी में खनन से ग्रामवासियों को रोजगार व खनन सामग्री में छूट मिलनी चाहिए। खनन कार्य वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए, जिससे अवैध खनन न हो।

5. **पूर्णानन्द तिवारी (ग्राम प्रधान), निवासी भोगपुर** द्वारा लोकसुनवाई का स्वागत किया गया और नदियों में खनन कार्य से सहमति व्यक्त की गयी कहा गया कि नदी में खनन न होने से पिछले वर्ष बरसात में बाढ़ आने से कृषि भूमि के साथ–साथ जाखन नदी के पुल का भी कटाव हुआ। उनके द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि खनन कार्य में लगे ट्रक/ट्राली आदि हेतु रायल्टी/किराया निर्धारित किया जाना चाहिए एवं खनन में लगे मजदूरों हेतु समुचित शौचालय की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे कि नदी प्रदूषित न हो। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि समीप ही विढालना नदी में भी खनन शुरू किया जाए, जिससे कि भूमि कटाव को रोका जा सके।

6. **श्री दीपक बेलवाल, निवासी जोलीग्रांट** द्वारा गया कि ग्रामीणों को स्वयं के मकान के निर्माण हेतु रेत, बजरी, पत्थर निशुल्क दिया जाना चाहिए।

7. **श्री महेन्द्र भट्ट (ग्राम प्रधान) निवासी बड़कोट** खनन कार्य से सहमति व्यक्त की गयी और पूछा गया कि क्या बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में खनन सामग्री में छूट मिलेगी? क्या बी.पी.एल. परिवारों को खनन सामग्री में छूट मिलेगी? उनके द्वारा कहा गया कि खनन सामग्री में ग्रामसभा को छूट प्रदान की जाए तथा अवैध खनन को रोका जाए। गढ़वाल मण्डल विकास निगम ग्राम सभा को खनन पट्टे आवंटित करें, जिससे खनन माफियाओं को अवैध खनन करने से रोका जा सके। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि क्षेत्र में चोरी की घटनाऐं बढ़ गयी हैं, इसलिये खनन कार्य से पूर्व खनन कार्य करने वाले मजदूरों का पुलिस वेरिफिकेशन कराया जा जाए, जिससे मजदूरों की आड़ में चोरियां न हों। इसके अतिरिक्त जिस क्षेत्र की नदी में खनन किया जा रहा है, उसी क्षेत्र के बरोजगारों को ठेका दिया जाए।

8. **श्री इन्द्रपाल (पूर्व प्रधान) निवासी रानी पोखरी** द्वारा नदियों के लॉट निर्धारण/सीमांकन एवं खनन सामग्री के तोल के सम्बन्ध में पूछा गया। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि खनन आबादी से 100 मीटर की दूरी पर ही किया जाए एवं ग्राम प्रधान की देखरेख में ही खनन क्षेत्र का सीमांकन किया जाए, खनन सामग्री के दाम निर्धारित किये जाएं तथा खनन कार्य हेतु प्रयुक्त सड़कों की मरम्मत का कार्य भी कार्यदायी संस्था द्वारा कराया जाना चाहिए।

9. **श्री सुधीर रतूड़ी, निवासी रानी पोखरी** द्वारा कहा गया कि रानीपोखरी क्षेत्र में होने वाली लोक सुनवाई का प्रचार–प्रसार नहीं किया गया है, जिससे लोक सुनवाई में क्षेत्र के निवासियों की उपस्थिति मात्र 5 प्रतिशत ही है। इसलिये हम इस लोक सुनवाई का विरोध करते हैं। उनके द्वारा कहा गया कि गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा खनन पट्टे की नीलामी न कर स्वयं खनन करें। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि खनन कार्य से पूर्व मजदूरों का पुलिस वेरीफिकेशन अवश्य किया जाए तथा इसकी सूचना लिखित रूप से जन प्रतिनिधि को भी मिलनी चाहिए। श्री रतूड़ी द्वारा खनन कार्य की सहमति हेतु हाथ खड़े किये जाने का भी विरोध किया गया और कहा गया कि सम्पूर्ण क्षेत्र के निवासियों की राय ली जानी चाहिए।

10. **श्री पूरन सिंह नेगी, निवासी रानी पोखरी** द्वारा कहा गया कि लोक सुनवाई का प्रचार–प्रसार न होने के कारण सम्बन्धित क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति नगण्य है। उनके द्वारा श्री रतूड़ी की बात का समर्थन किया गया।

अपर जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त खनन कार्य राज्य सरकार की भूमि से किया जायेगा एवं खनन का कार्य अग्रतर बोली के माध्यम से स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता दिये जाने का प्राविधान है। राज्य सरकार की खनन नीति के अनुसार खनन कार्य से प्राप्त लाभांश के 5 प्रतिशत भाग को खनिज विकास निधि के माध्यम से

स्थानीय ग्रामीणों के विकास कार्यों में व्यय किया जायेगा। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा खनिज सामग्री में छूट दिये जाने की मांग के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि स्थानीय निवासियों के भवन एवं सामाजिक कार्यों हेतु खनिज सामग्री में राज्य सरकार खनिज नीति में कोई प्राविधान नहीं है। ग्रामीण एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधि राज्य सरकार के स्तर पर खनिज सामाग्री स्वयं के उपयोग हेतु छूट के प्राविधान की मांग कर सकते हैं।

अन्त में उक्त आपत्तियों के अनुक्रम में जीएमवीएन के प्रतिनिधि द्वारा उपरोक्त सुझावों के अनुक्रम में अवगत कराया गया कि खनन कार्य राज्य सरकार की भूमि पर किया जाना है। किसी निजी भूमि पर खनन कार्य नहीं किया जायेगा। प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य सरकार की खनिज नीति के अनुसार स्थानीय निवासियों को खनिज पट्टे अन्तरित किये जाने की प्राथमिकता का प्राविधान है। खनन कार्य के दौरान माल वाहक वाहनों के परिवहन हेतु वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जायेगी एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुसार कार्य किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा अवगत कराया गया कि स्थानीय ग्रामीणों के विकास हेतु कारपोरेट सोश्यिल रिस्पोंस्बिलिटी (CSR) के अन्तर्गत खनन कार्य से प्राप्त लाभांश का कुछ भाग विभिन्न सामाजिक विकास कार्य में व्यय किये जाने का भी प्राविधान है। स्थानीय स्तर पर खनन कार्य होने से स्थानीय रोजगार उपलब्ध होना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा बताया गया कि खनन कार्य न होने के कारण नदी का वास्तविक स्वरूप बदल जायेगा और नदी जंगल एवं कृषि भूमि का कटाव करेगी इसलिये नदी का चुगान वैज्ञानिक तरीके से करना अति आवश्यक है। परियोजना के अन्तर्गत स्थानीय लोगों की सहभागिता का भी पूरा ध्यान रखा जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि खनन वैज्ञानिक तरीके से किया जाये जिससे पर्यावरणीय क्षति न हो। अन्त में सभा में उपस्थित व्यक्तियों द्वारा हाथ खड़े कर खनन कार्य हेतु सहमति व्यक्त की गयी।

तदोपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की अनुमति के द्वारा समापन की घोषणा की गयी है। जन सुनवाई की कार्यवाही की फोटाग्राफी एवं वीडियोग्राफी की गयी है।

संलग्नक–

1. फोटो – 03
2. डी0वी0डी0 – 03
3. उपस्थिति पंजिका – 03

(सुनील डबराल)
अनु0 सहा0

(सुभाष पंवार)
अ0 अभियन्ता

(प्रताप सिंह शाह)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
देहरादून

जाखन नदी के लॉट नं० 13/1 में चुगान/खनन हेतु दिनांक 02/09/2014 प्रातः 11.00 बजे स्थान महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ती प्रशिक्षण केन्द्र, रानीपोखरी जाखन नदी के पास, देहरादून में चुगान/खनन हेतु लोक सुनवाई में उपस्थित मा० जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति पंजिका –

	नाम व पद	पता	सम्पर्क सूत्र	हस्ताक्षर
	श्री प्रतापसिंह शाह (Admn. F/R)	जिला प्रशासन देहरादून	9456665555	[signature]
	श्री सुभाष पंवार (अ० अभि०)	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून	9410393545	[signature]
	श्री सुनील ... (अनु० सहा०)	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून	9634837020	[signature]
	किशन कुमार (Asst. manager)	GRC India (P) Ltd Noida	8377078326	[signature]
	डी एस नेगी	GMVN Ltd		[signature]
	अर्जुन सिंह	थापल गांव	9012275296	[signature]
7	अनिल पाल	माजरी ग्रान्ट	8057115221	Anil
	सागरमलवाल (प्रधान)	जोलीग्रान्ट	9412923174	[signature]
9	[illegible] (B.D.C)	[illegible]	9627417011	[signature]
10	Subodh Jaiswal	Ranipokhri	9897314208	[signature]
11	Sunil Panwar	Resham Majri	9759304059	[signature]
12	[illegible]	[illegible] Gate	9720888804	[signature]
13	श्री पालसिंह	रेशम माजरी	9760370777	[signature]
14	Resham Singh Bisht	Nagar Panchayat Doiwala	9719836621	[signature]
15	महावीरसिंह	डोईवाला	7500305513	महावीर
16	ओमपाल सिंह	रानी पोखरी	9536332634	ओमपाल
18	संतोष कुमार	रानी पोखरी	9955202828	संतोष
19	जयसिंह	रानी पोखरी	[illegible]	

20	इन्द्रपाल सिंह	रानीपोखरी ग्रान्ट	8923495008	
21	उदय रमोला	रानीपोखरी	9719747901	
22				[signature]
23	Bharat Singh	Nagagher	8449894544	[signature]
24	ललित प्रसाद तिवारी	भोगपुर	9536234031	[signature]
25	K.S. Kalura	G.M.V.N Ltd	9411139392	[signature]
26	Bhagdsingh	भोगपुर	9412175262	[signature]
27	Sundeep Jaiswal	Ranipokhri	9675903725	[signature]
28	Sudhir Roti	Ranipokh	9412154060	[signature]
29	P.S. Negi	Ranipokhri	9599191973	[signature]
30	[illegible] सिंह	[illegible]	9358882999	[signature]
31	[illegible]	[illegible]	9720094462	[signature]
32	Mohit Rawat	Ranipokhri	9997868290	[signature]
33	Sunil Kumar	Rampokhar	9758474415	[signature]
34	Sumit Kumar	"	8006722010	[signature]
35	[illegible]	Ranipokhar	9759159199	[signature]
36	[illegible]	"	9627552828	[signature]
37	[illegible]	मोथा रानीपोखरी [illegible]	9411169853	[signature]
38	[illegible]	[illegible]	9412152681	[signature]
39	[illegible]	[illegible]	9761747838	[signature]
40	दीपक	रानीपोखरी	7351099587	[signature]
41	मनीष	[illegible]	8057384502	[signature]
42	[illegible]	शान्तिनगर	8057983793	[signature]
43	संजय [illegible]	रानीपोखरी	9758728843	[signature]
44	[illegible]	[illegible]	9557764085	[signature]
45	Rajesh [illegible]	[illegible]	9759616856	[signature]
46	Sukhdev Singh	Ranipokhri	9997874317	[signature]
47	Manoj Kumar	Chandpur	9627504104	[signature]
48				
49	[illegible]	[illegible]	7579279659	[signature]
50	[illegible]	[illegible]	9456773550	[signature]

Surender Rawat	शान्ति नगर	9756177085	[signature]
		9412910416	[signature]
Rajendra Rawat	Bhogpur	9756771077	[signature]
Vijay Singh	Ranipokhri	9557766801	[signature]
Anoop Chauhan	Raimapur	9627620215	[signature]
Vikram	Chamnadpur	9690030321	Vikram
[illegible]	[illegible]	9411070213	[signature]
Mahendra Bhatt	Badkot	9412941112	[signature]
Aditya [illegible]	[illegible]	96314645[illegible]	[signature]
Km. Manjula Rani chowdhury	Rani Pokhari ANMTC.	9897132986	[signature] 2/9/011
Gopal	Reshm mangri	9410319375	Gopal
MANISH PANWAR	RANIPOKHRI	9761595808	[signature]
Anshuman Bisht	Ranipokhari	7579175384	[signature]
MAHESH [illegible]	Ranipokhri	9412653592	[signature]
Balwant Singh	[illegible]	9568260219	[signature]